

6-4-22

पकड़नाथ फरीकन उपखण्ड।
 उक्त पञ्चावली से संबंधित
 मूल वाद संख्या 35/2019
 उमवानी निवास आर्दि N/S विक्रम
 आर्दि का निर्णय दिनांक 6-4-22
 को खारिज के रूप में हुआ है।
 इसलिए उक्त प्राठपत्र अध्याय
 212 RTA 1955 मूल वाद के अभाव
 में आगे चलने योग्य नहीं है।
 अतः एतद्वल प्राठपत्र को खारिज
 किया जाता है। मिसल उर्जमम्बर
 से कम होकर मूल वाद सं: 35/19
 Gcms No - 2019/00/35 उमवानी
 निवास आर्दि वगाम विक्रम आर्दि के
 संलग्न हैं।

उपखण्ड अधिकारी
 एवं पदे
 चोतड़ी

